भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1330

सोमवार, 27 जुलाई, 2026/ 5 श्रावण, 1948 (शक)

ईएसआईसी द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

†**1330. श्री मुकेश राजपूत:**
श्री गोडम नागेश:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
सुश्री बाँसुरी स्वराज:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्री सुनील कुमार:
श्री दुलू महतो:
डॉ. राजकुमार सांगवान:
श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:
श्री मनीष जायसवाल:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री बलभद्र माझी:
श्री विजय बघेल:
श्री आलोक शर्मा:
डॉ. निशिकान्त दुबे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत कर्मचारियों और नियोक्ताओं के पंजीकरण को बढ़ावा देने तथा अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों और नए नियोजित श्रमिकों को नामांकित करने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया है या कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश के संबंध में विशेष रूप से शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) हिमाचल प्रदेश का शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा का नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और बिहार का पश्चिमी चंपारण जिले सहित देश में ईएसआई लाभार्थियों के लिए चिकित्सा अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करने और उसका विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

जारी/2–

(घ) ईएसआईसी के अंतर्गत संचालित अस्पतालों और औषधालयों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और मध्य प्रदेश के भोपाल और सीहोर जिलों में कितने डॉक्टर और कर्मचारी सेवारत हैं; और

(ङ) ईएसआईसी के माध्यम से श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा लाभों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा नियोक्ताओं/कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने संबंधी योजना (एसपीआरईई-2025) का शुभारंभ जुलाई, 2025 से जनवरी, 2026 की अवधि के दौरान किया गया। इस योजना के अंतर्गत, संगठित क्षेत्र के ऐसे नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों, जो अनजाने में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के दायरे में सम्मिलित होने से छूट गए थे, उनको एकबारगी अवसर प्रदान किया गया था, ताकि वे किसी पूर्वव्यापी कवरेज अथवा दंडात्मक कार्रवाई की आशंका के बिना कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करा सकें। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31.01.2026 तक कुल 1,38,718 नए नियोक्ताओं तथा 1,12,72,772 कर्मचारियों का पंजीकरण किया गया।

इस योजना के दौरान पंजीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों का ब्यौरा संलग्नक-I में दिया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला सहित जिला-वार पंजीकृत नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों का ब्यौरा संलग्नक-II में दिया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा देशभर में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने तथा ईएसआई लाभार्थियों को प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा लाभों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अनेक पहलें शुरू की गई हैं। इनमें अस्पतालों में बेड संख्या में वृद्धि, उन्नत चिकित्सा उपकरणों की खरीद, आईसीयू/एचडीयू सुविधाओं की शुरूआत, नए अस्पतालों एवं औषधालयों का प्रचालन, निजी एवं सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को पैनल में शामिल करना, ओपीडी में अपॉइंटमेंट हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का उन्नयन, लाभों के संवितरण के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण, नकद लाभ संबंधी दावों का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण तथा जहाँ ईएसआईसी की स्वास्थ्य सुविधाएँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के साथ सहकार्यता शामिल है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा हाल ही में ओम्पोरा (जम्मू और कश्मीर), डोड्डाबल्लापुर (कर्नाटक), श्रीपेरंबुदूर (तमिलनाडु) तथा सूरत (गुजरात) में अस्पतालों का संचालन/उन्नयन किया

गया है। इसके अतिरिक्त, सनतनगर (तेलंगाना), बेलटोला (असम) तथा राजमहेंद्रवरम (आंध्र प्रदेश) स्थित अस्पतालों की क्षमता का विस्तार भी किया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में ईएसआई लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने तथा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में हिमाचल प्रदेश के काला अंब (शिमला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) में एक नए ईएसआईसी अस्पताल का संचालन, मनाली में औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) की स्थापना, ऊना में 30 बेडों वाले (जिसका विस्तार 100 बेडों तक किया जा सकता है) ईएसआईसी अस्पताल की स्वीकृति तथा वर्ष 2025-26 के दौरान आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए ₹1.89 करोड़ की राशि का प्रावधान शामिल किया गया है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाने के उद्देश्य से 66 निजी अस्पतालों, जिनमें शिमला के 10 अस्पताल तथा 31 सुपर स्पेशियलिटी उपचार (एसएसटी) अस्पताल भी सम्मिलित हैं, को पैनलबद्ध किया गया है, ताकि ईएसआई लाभार्थियों को द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की कैशलेस चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें। मध्य प्रदेश में सीधी में एक औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) स्वीकृत किया गया है तथा राज्य सरकार के साथ संपादित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत ईएसआई लाभार्थियों को राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के माध्यम से चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, ओडिशा के संपूर्ण नबरंगपुर जिले में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना लागू कर दी गई है, जहाँ एमआईएमपी योजना के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

वर्तमान में मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में 01 अस्पताल तथा 03 औषधालय संचालित हैं, जिनमें कुल 59 चिकित्सक, 53 नर्सिंग कार्मिक तथा 48 पैरामेडिकल कार्मिक सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत कोई अस्पताल अथवा औषधालय कार्यात्मक नहीं है।

**

संलग्नक-I

"ईएसआईसी द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार" के संबंध में श्री मुकेश राजपूत और अन्य द्वारा दिनांक 27.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1330 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

एसपीआरईई अवधि के दौरान दिनांक 01.07.2025 से 31.01.2026 तक कवर किए गए नियोक्ताओं और कर्मचारियों का ब्यौरा			
क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	नियोक्ताओं की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	4681	343799
2.	असम	4013	114158
3.	बिहार	4211	137369
4.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	378	27764
5.	छत्तीसगढ़	3180	223625
6.	दिल्ली	4093	365634
7.	गोवा	584	61241
8.	गुजरात	9694	692573
9.	हरियाणा	7211	1071122
10.	हिमाचल प्रदेश	1598	124872
11.	जम्मू एवं कश्मीर	894	43723
12.	झारखंड	3251	124010
13.	कर्नाटक	7944	974438
14.	केरल	4696	209063
15.	लक्षद्वीप	2	9
16.	मध्य प्रदेश	6015	402062
17.	महाराष्ट्र	18515	1599555
18.	उड़ीसा	3686	320607
19.	पुदुचेरी	320	25055
20.	पंजाब	7221	341250
21.	राजस्थान	8261	584123
22.	सिक्किम	56	4723
23.	तमिलनाडु	12807	1268037
24.	तेलंगाना	5010	612559
25.	उत्तर प्रदेश	11359	1000612
26.	उत्तराखंड	1377	195922
27.	पश्चिम बंगाल	7661	404867
कुल		**138718**	**11272772**

(स्रोत: ईएसआईसी मु0)

संलग्नक-II

"ईएसआईसी द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार" के संबंध में श्री मुकेश राजपूत और अन्य द्वारा दिनांक 27.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1330 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

हिमाचल प्रदेश में एसपीआरईई अवधि के दौरान दिनांक (01.07.2025 से 31.01.2026) में कवर किए गए नियोक्ताओं और कर्मचारियों का ज़िलेवार डेटा			
क्र. सं.	जिलों का नाम	नियोक्ताओं की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1	बिलासपुर	93	2,817
2	चंबा	73	875
3	हमीरपुर	85	963
4	कांगड़ा	273	4,677
5	किन्नौर	15	963
6	कुल्लू	161	1,682
7	लाहौल और स्पीति	3	37
8	मंडी	176	2,893
9	शिमला	109	3,115
10	सिरमौर	142	14,693
11	सोलन	364	88,026
12	ऊना	104	4,131
	कुल	**1,598**	**1,24,872**

(स्रोत: ईएसआईसी मु0)
